

मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय भोपाल

कमांक
प्रति,

/2022/32-3

भोपाल, दिनांक

अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

श्री सुनील सिंह भदौरिया, प्रशासनिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एफको भोपाल को विभाग से कार्यमुक्त करने बाबत ।

सन्दर्भ :-

वित्त विभाग का आदेश कमांक 12504/905/05/22ई/चार दिनांक 13/10/2022

विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश द्वारा श्री सुनील सिंह भदौरिया, मुख्य वित्तीय अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना को प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एफको भोपाल के रूप में पदस्थ किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17/10/22 को कार्यभार ग्रहण किया गया है ।

2/- श्री सुनील सिंह भदौरिया, के एफको एवं बोर्ड में कार्य व्यवहार के बारे में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, विशेषकर बिल भुगतान संबंधी कार्यवाही में विलम्ब तथा अनुचित मांगे किये जाने संबंधी तथ्य भी सामने आ रहे हैं, श्री भदौरिया के व्यवहार से विभाग की छवि धूमिल हो रही है । अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये श्री भदौरिया को विभाग से तत्काल कार्यमुक्त किया जाता है ।

श्री भदौरिया के स्थान पर अन्य किसी योग्य वित्त अधिकारी की पदस्थापना करने का अनुरोध है ।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(चन्द्र मोहन ठाकुर)

उप सचिव,

भोपाल, दिनांक 13/12/2022

पृ० कमांक 1084 2022/32-3
प्रतिलिपि:-

- 1 कार्यपालन संचालक, एफको, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2 सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3 श्री सुनील सिंह भदौरिया, मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल एवं एफको भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

✓ I.T.

(चन्द्र मोहन ठाकुर)

उप सचिव